



तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

हेतु

दिशा-निर्देश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

नई दिल्ली

विषय सूची

भाग-क सामान्य दिशा-निर्देश

भाग-ख विशेष प्रावधान

भाग-ग प्रवेश प्रक्रिया

भाग-घ फार्म और प्रपत्र

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

भाग-क

सामान्य दिशा-निर्देश

1. केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पूर्व में जो दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं उनको निरस्त करते हुए शिक्षा सत्र 2013-14 से प्रभावी निम्नलिखित दिशा-निर्देश विद्यालयों में प्रवेश नियमितीकरण हेतु जारी किए जाते हैं। ये दिशा-निर्देश विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों पर लागू नहीं हैं।

2. परिभाषाएं :-

जब तक संदर्भ से दूसरी बात अपेक्षित न हो, इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा इस प्रकार से होगी:-

- (i) **केंद्रीय सरकार के कर्मचारी** :- कर्मचारी, जो भारत की समेकित निधि से अपनी परिलब्धियाँ प्राप्त करता है।
- (ii) **स्थानांतरणीय** : कर्मचारी, जो पूर्वगामी 7 वर्षों में कम से कम एक बार स्थानांतरित हो चुका है, उसे स्थानांतरणीय माना जाएगा।
- (iii) **स्थानांतरण** : कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान/शहरी संकुल से दूसरे स्थान/शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया है और जो स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
- (iv) **स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**: भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्तपोषित अथवा सरकार के 51 प्रतिशत से अधिक शेयरधारी स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ही इस वर्ग में माना जाएगा।

3. प्रवेश में प्राथमिकताएं :

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा :

क. सिविल/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय :

1. पूर्व-सैनिकों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं।
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चों भी सम्मिलित हैं जो किसी निजी कार्य से भारत में रहते हैं। **विदेशियों के मामले में तभी विचार किया जाएगा जबकि प्रतिक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो।**

टिप्पणी : बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत केंद्रीय विद्यालय :-

1. (क) विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चों एवं उनके पौत्र/पौत्रियां।
(ख) प्रोजेक्ट के कर्मचारी और स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं।
(ग) वार्डन परिषद के नियमित कर्मचारियों (सीओडब्ल्यू) के बच्चों
(घ) प्रवेश के उद्देश्य से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र/पौत्रियाँ श्रेणी-1 में सम्मिलित किए जाएं।
2. तत्पश्चात् सिविल/रक्षा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों(पैरा-3 (क)) के लिए दी गई प्राथमिकताओं का उसी अनुक्रम से अनुसरण होगा।
3. उच्च शिक्षण संस्थानों के जो बच्चे अपने अभिभावकों के दीर्घ अवधि पर विश्रामकाल/अवकाश पर जाने के कारण स्टेशन से दूर जाने पर विद्यालय में अध्ययन जारी नहीं रख सकें उन्हें पुनः प्रवेश कक्षा की निर्धारित क्षमता के ऊपर दिया जाए।

4. प्रवेश के लिए पात्र आयु:-

जिस शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा-1 में प्रवेश मांगा जा रहा है उस वर्ष की 31 मार्च को बच्चे की आयु पांच वर्ष की होनी आवश्यक है (जिस बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो उस पर भी विचार किया जाए)।

क. केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु इस प्रकार होगी:

कक्षा	जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की न्यूनतम आयु	जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की अधिकतम आयु
I	5 वर्ष	7 वर्ष
II	6 वर्ष	8 वर्ष
III	7 वर्ष	9 वर्ष
IV	8 वर्ष	10 वर्ष
V	9 वर्ष	11 वर्ष
VI	10 वर्ष	12 वर्ष
VII	11 वर्ष	13 वर्ष
VIII	12 वर्ष	14 वर्ष
IX	13 वर्ष	15 वर्ष
X	14 वर्ष	16 वर्ष

टिप्पणी: (क) विकलांग बच्चों को अधिकतम आयु में दो वर्ष की छूट प्राचार्य द्वारा ही दी जा सकती है ।

ख. कक्षा -11 में प्रवेश के लिए आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते कि संबंधित विद्यार्थी कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष में प्रवेश मांग रहा हो। इसी तरह कक्षा 12 में प्रवेश हेतु कोई अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10/11 उत्तीर्ण करने के बाद उसके नियमित अध्ययन में कोई अंतराल न हो।

5. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और सक्षम प्राधिकारी

कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या	प्राधिकारी	दिनांक	टिप्पणी
40	प्राचार्य	31 जुलाई तक	पंजीकृत और पात्र उम्मीदवार
45 तक	अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति	1 अगस्त से 30 सितम्बर तक	बशर्ते कि श्रेणी-1 का केंद्र सरकार का कर्मचारी पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करता है तो उनके बच्चों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पिछले शैक्षणिक सत्र में स्थानान्तरित श्रेणी-1 के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए भी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि इस शैक्षणिक सत्र में स्थानान्तरित श्रेणी-1 कर्मचारियों के सभी बच्चों को प्रवेश देने के उपरांत जगह खाली हो। . प्रोजेक्ट/उच्च शिक्षण संस्थान में स्थापित केंद्रीय विद्यालयों पर भी यह प्रावधान लागू होगा।
45 तक	आयुक्त, के.वि.सं.	30 नवम्बर तक	केंद्र सरकार/पीएसयू/उच्च शिक्षण संस्थान के कर्मचारी जिन्होंने स्थानान्तरण पर 30 सितम्बर के बाद कार्यभार ग्रहण किया है उनके बच्चों को खाली जगह होने पर

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी:

सभी केंद्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें आरक्षित होंगी।

(ख) शारीरिक विकलांग श्रेणी :

नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें शारीरिक विकलांग बच्चों, नेत्रहीन, और बधिर बच्चों के लिए संस्तर रूप से आरक्षित होंगी।

6. के.वि. टी.सी. एवं स्थानीय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टीसी) के साथ प्रवेश

- यदि अभिभावक का स्थानान्तरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हो गया है तो के.वि. के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र पर स्वतः ही(कक्षा में बच्चों की अधिकतम संख्या के ऊपर) बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 55 तक पहुंच जाती है तो अतिरिक्त सेक्शन खोलने के प्रयास किए जाएं।
- रक्षा कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी, जिनका स्थानान्तरण यदि ऐसे स्थान पर होता है जहां परिवार नहीं रखा जा सकता या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय के स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार ऐसे केंद्रीय विद्यालय में करा सकेगें जहां वे अपना परिवार रखते हैं।
- अभिभावक का स्थानान्तरण न होने के अन्य सभी मामलों में केंद्रीय विद्यालय के स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश केवल क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा ।
- के.वि. टी.सी. के आधार पर सभी स्थानीय स्थानान्तरण मेरिट के आधार पर उपायुक्त के अनुमोदन के अनुसार किए जाएंगें।
- के.वि. टी.सी. के छात्र को प्रोजेक्ट के.वि. में भी कक्षा में 45 तक विद्यार्थियों संख्या तक अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की पूर्वानुमति से किया जा सकता है। इस सीमा के ऊपर प्रोजेक्ट विद्यालय में के.वि. टी.सी. पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. हालांकि, संभागीय उपायुक्त को अत्यंत पात्र मामलों में प्रोजेक्ट / निकटतम के.वि. में प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा।

7. पाली/ शिफ्ट में परिवर्तन

द्वितीय पाली में पहले से प्रवेश पाए विद्यार्थी पहली पाली में और पहली पाली में प्रवेश पाए विद्यार्थी द्वितीय पाली में जाने के लिए 45 की कक्षा/सेक्शन की संख्या से कम होने पर ही सेवा की श्रेणी की प्राथमिकता के क्रम में विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन से किए जाएं तथापि कुछ वास्तविक मामलों का निपटान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त के अनुमोदन से प्रत्येक मामले के आधार पर किए जाएं बशर्ते की कक्षा/ सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 45 से अधिक न हो। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृति देने से पहले प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर जांच की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक सेक्शन में उपलब्ध नामांकन के अनुसार प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित छात्र संख्या के मानकों का उल्लंघन ना हो। पाली बदलने के मामले के.वि.सं.(मु) में न भेजे जाएं।

8. केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान प्रमाण-पत्र/राज्य बोर्ड/आईसीएससी स्तर की समतुल्यता :

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान प्रमाण-पत्र/राज्य बोर्ड/आईसीएससी जहां अंक दिए जाते हैं के विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में रिक्तियां रहने पर प्रवेश दिया जाएगा और संबंधित संस्थान द्वारा विभिन्न विषयों में दिए गए अंकों को सीबीएसई द्वारा निर्धारित ग्रेड में परिवर्तित किया जाएगा।

सीबीएसई मानदण्डों के अनुसार अंकों को ग्रेड में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा:

अंको का ग्रेड में रूपांतरण

अंक	ग्रेड	अंक	ग्रेड
91-100	ए1	51-60	सी1
81-90	ए2	41-50	सी2
71-80	बी1	33-40	डी
61-70	बी2	21-32	ई1
		0-20	ई2

9. 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं में प्रवेश:

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश के मामलों पर रिक्त स्थान होने पर ही विचार किया जाएगा। कक्षा 10 एवं 12 में ऐसे प्रवेश के मामलों पर विचार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा ही किए जाएंगे बशर्ते कि इन कक्षाओं में औसत संख्या 40 से कम हों।

ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें भी लागू होगी :

- बच्चे ने सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय में उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो।
- बच्चे ने कक्षा 9 में कम से कम 6.5 सीजीपीए प्राप्त किये हो (सीजीपीए की गणना सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं के सीजीपीए गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र के द्वारा की जाएगी)। कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 11वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया होना आवश्यक है।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी पात्र होना चाहिए।
- केंद्रीय विद्यालयों में उन विषयों का संयोजन(Combination) उपलब्ध हो।

10. विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश

अभिभावकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा उनका बच्चा यदि उनके साथ विदेश चला जाता है, भारत में उनकी वापसी पर संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उसे अनुरूप कक्षा में प्रवेश दे दिया जाए।

11. प्रवेश दिशा निर्देशों की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले में आयुक्त, के.वि.सं. का निर्णय अंतिम होगा.

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

भाग-ख

विशेष प्रावधान

शिक्षा सत्र 2013-14 के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित विशेष प्रावधान होंगे :

(क) इन प्रवेश दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों में अन्यथा उल्लिखित प्रवेश व्यवस्था को छोड़कर (जैसे मद संख्या XVI) निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक/ऊपर प्रवेश दिया जाएगा:

- (i) माननीय सांसदों के बच्चे और उनके आश्रित पौत्र/पौत्रियां।
- (ii) केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे और पौत्र/पौत्रियां (पुत्र अथवा/और पुत्री के बच्चे)।
के.वि.सं.(केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जेडआईईटी और के.वि.सं.(मुख्या)) में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और पौत्र/पौत्रियों को कक्षा की निर्धारित संख्या/स्थानांतरण वर्ष/भर्ती पर ध्यान दिए बिना वर्ष में किसी भी समय प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा। तथापि कक्षा 9 में प्रवेश हेतु बच्चे को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी (जो अधिकारी/कर्मचारी के.वि.सं. में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करते हैं उनके बच्चों को भी के.वि.सं. के नियमित कर्मचारी के बच्चों के समतुल्य माना जाएगा) ।
- (iii) कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
- (iv) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र, सेना मेडल(आर्मी), नौसेना मेडल(नौसेना), वायु सेना मेडल(एयर फोर्स) प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- (v) राष्ट्रपति पुलिस शौर्य पदक प्राप्त तथा पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- (vi) सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआई/सीबीएसई/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेलकूद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले मेधावी बच्चे।
- (vii) स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता।
- (viii) इकलौती कन्या संतान का प्रवेश कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें माता-पिता की जुड़वा पुत्रियां भी सम्मिलित हैं।
- (ix) राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय बालभवन द्वारा प्रारंभ किए गए बालश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बच्चे।
- (x) राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों के बच्चे।
- (xi) ललित कलाओं में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे।
- (xii) केंद्रीय विद्यालय संगठन(मुख्या) द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा (31 जुलाई तक) ।
- (xiii) के.वि.सं.(मु) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को प्रतिवर्ष भारत में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा और 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश दिया जाएगा। ये प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर दो श्रेणियों के लिए होंगे :-

1. देशभर के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में 60 प्रवेश उन बच्चों के लिए हैं जो अपने अभिभावकों की तैनाती के उपरांत विदेश से लौट रहे हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत आम प्रवेश के समय शेष सीटों को ऐसे ही रखा जाएगा और शिक्षा-सत्र के प्रारंभ से लेकर 30 सितंबर की अवधि तक भारत लौटने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए ये सीटें उपयोग में लाई जाएंगी। 30 सितंबर के पश्चात भारत लौटने वाले अभिभावकों के बच्चों के प्रवेश पर 30 नवम्बर तक प्राथमिकता श्रेणी 1 के बच्चों के साथ विचार किया जाएगा। इस प्राथमिकता के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों पर विशेष विचार नहीं किया जाएगा। ये सभी प्रवेश इस शर्त पर होंगे कि एक विद्यालय में एक वर्ष में 5 बच्चों से अधिक का प्रवेश न हो और केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश से पहले विदेश में जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे उस विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस उपबंध के अंतर्गत संबंधित कक्षाओं में विशेष प्रावधानों के अंतर्गत प्रवेश का कोटा एक बार पूर्ण हो जाने पर सभी प्रवेश बंद हो जाएंगे।
 2. प्रवेश हेतु 15 सीटें केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में केवल उन बच्चों के लिए होंगी जिनके अभिभावक विदेश में ऐसे स्टेशन पर तैनात किए गए हो, जहां शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इस संबंध में अपेक्षित सूचना विदेश मंत्रालय द्वारा दी जानी आवश्यक है।
- (xiv) अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) के कर्मचारियों के 15 बच्चों को प्रवेश के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.) द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली से बाहर दी जाएगी।
- (xv) यदि उपबंध (XII) (XIII) और (XIV) के अंतर्गत पात्र बच्चों के प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न हो तो इन प्रावधानों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त नामांकन किया जा सकता है।
- (xvi) सभी विद्यालयों में प्रायोजक अभिकरण के बच्चों के लिए, आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित विद्यालयों को छोड़कर, कक्षा एक के प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें और अन्य सभी कक्षाओं में कुल मिला कर 10 सीटें आरक्षित होंगी। इस कोटे के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवाकाल के दौरान निधन होने वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सिविल क्षेत्र के विद्यालयों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों इस प्रावधान के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से रक्षा, परियोजना क्षेत्रों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के केन्द्रीय विद्यालयों में इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे इस प्रावधान के अंतर्गत आएंगे। कक्षा 1 में प्रवेश सेक्शन की संस्वीकृत छात्र संख्या तक रहेंगे जबकि शेष कक्षाओं में संस्वीकृत छात्र संख्या के अतिरिक्त प्रवेश की अनुमति है।
- (xvii) अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, संबंधित विद्यालय में अपने विवेकाधिकार कोटे के अंतर्गत अधिकतम दो बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर इन दो प्रवेशों की संस्तुति एक ही कक्षा में अथवा अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए की जा सकती है।
- (xviii) दिल्ली में जहां केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि डी.डी.ए. द्वारा प्रदान की गई है उन केंद्रीय विद्यालयों में डी.डी.ए. के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें तथा अन्य कक्षाओं में कुल 5 सीटें सीमित होंगी। कक्षा 1 में प्रवेश सेक्शन की अनुमोदित क्षमता के अंदर होंगे जबकि अन्य कक्षाओं में यह सेक्शन की कक्षा क्षमता से ऊपर होंगे।
- (xix) प्रत्येक माननीय सांसद इस योजना के अंतर्गत एक शिक्षा-सत्र में प्रवेश हेतु छः मामलों में अनुशंसा कर सकते हैं परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो उस संसदीय क्षेत्र के निवासी हो या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हों या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। यह संस्तुति माननीय सांसद द्वारा अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय

विद्यालयों में प्रवेश के लिए होगी। वे इन दाखिले की सिफारिश किसी भी पड़ोसी सन्निहित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में भी कर सकते हैं।

राज्य सभा सांसद जिस राज्य से चुने गए हैं वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा। राज्य सभा एवं लोक सभा मनोनीत सांसद किसी एक विद्यालय या देश में स्थित अन्य विद्यालयों में छः मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत सिफारिश निम्नलिखित ढंग से विनियमित की जाएगी :

क) यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे।

ख) यह अनुशंसा पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए की जा सकती है।

ग) ये प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही किए जाएंगे निर्धारित कट ऑफ तारीख अर्थात् 31 जुलाई के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा।

घ) यह अनुशंसा माननीय सांसदों को के.वि.सं.(मुख्या) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में किए जाने पर ही मान्य होगी। अन्य किसी फॉर्म/प्रारूप में संस्तुति किए जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

ङ) माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के लिए प्रवेश की संस्तुति की गई है वह के.वि.सं. प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(xx) सशस्त्र बलों के प्रत्येक शिक्षा निदेशालय अर्थात् सेना, वायुसेना और नौसेना एक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश हेतु 2 मामले भेज सकते हैं। सशस्त्र बलों के शिक्षा निदेशालय अर्थात् सेना, वायुसेना और नौसेना ऐसे रक्षा कार्मिक के दो बच्चों के नाम की सिफारिश कर सकते हैं जो रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता रखते हैं। अन्य शर्तें ऊपर (xix क से ङ) अनुरूप रहेगीं।

ख) रक्षा बलों के बच्चों को प्रवेश:

केंद्रीय विद्यालय वाले स्टेशन पर सशस्त्र बल के कर्मियों के स्थानांतरण पर आने पर या सेवानिवृत्ति के बाद वहीं बसने की इच्छा रखने वाले अभिभावकों के बच्चों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्ध रक्षा बलों(थल सेना, वायु सेना, जल सेना) द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वतः ही प्रवेश दे दिया जाए बशर्ते कि तैनाती के स्थान से 10 कि.मी. की परिधि में सैन्य बलों द्वारा चलाया जा रहा कोई विद्यालय उपलब्ध न हो।

यह प्रावधान भारतीय कोस्टगार्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के मामलों में भी लागू होंगे। ये प्रावधान इसरो/एईईएस द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में पढ़ रहे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी लागू होंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधान केवल रक्षा कार्मिकों के बच्चों अर्थात् पुत्र और पुत्रियों के लिए है। इसमें रक्षा कार्मिकों के पौत्र/पौत्रियाँ सम्मिलित नहीं होंगे। इसमें आयु और अंकों/ग्रेड के मापदण्डों की पात्रता सहित केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देश के प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा। बच्चे द्वारा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के माह से विद्यालय विकास निधि सहित सभी शुल्क का भुगतान किया जाएगा चाहे उसके द्वारा अपने पिछले विद्यालय में उत्तरवर्ती महीनों के शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रक्षा मंत्रालयों/विभागों/प्रधिकरणों द्वारा संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऐसे विद्यालय से जारी प्रमाण-पत्र को प्रवेश लेने वाले केंद्रीय विद्यालय के उपायुक्त द्वारा पृष्ठांकित करवाया जाए।

ग) पूर्व प्राथमिक छात्रों को कक्षा-1 में प्रवेश

पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 1 में स्वतः प्रवेश के नियम को सत्र 2008-09 से वापस ले लिया गया है। अब कक्षा 1 के सभी प्रवेश नए माने जाएंगे और इन पर प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी।

घ) ऐसे विद्यार्थी, जो पूर्व में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे किन्तु (क) अभिभावक स्थानांतरण के कारण या(ख) स्थानांतरित क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की अनुपलब्धता के कारण अन्य विद्यालय में पढ़ने को बाध्य होना पड़ा हो; और यदि संबंधित अभिभावक का अगला स्थानांतरण ऐसे स्थान पर होता है जहाँ केंद्रीय विद्यालय है, ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा की निर्धारित संख्या से ऊपर प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावक को इस आशय का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

भाग-ग

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रचार

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की समय-सारणी(अनुलग्नक) का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश के लिए पंजीकृत करने के लिए अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस विज्ञापन में यह भी विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही सीमित नहीं है अपितु सभी के लिए खुला है, केवल कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं जिनके अनुसार विभिन्न श्रेणियों के बच्चे प्रवेश में प्राथमिकता प्राप्त करेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग बच्चों के लिए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आरक्षण भी दर्शाया जाए।

2. पंजीकरण

- (i) यदि किसी कक्षा में कोई रिक्त स्थान न हो या स्थान रिक्त होने की संभावना न हो तो उस कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में रिक्ति उपलब्ध हो जाती है तो स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार करके पंजीकरण किया जा सकता है तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देश के अनुसार प्रवेश किया जा सकता है।
- (ii) यदि प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चों के पंजीकरण की संख्या कम हो और सभी सीटें भरी न जा सकी हों, तब प्राचार्य रिक्त सीटों की उपलब्धता को दर्शाते हुए दूसरा/तीसरा विज्ञापन मई और जून मास में जारी करेंगे।
- (iii) विद्यालयों में प्रवेश विद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से किए जाने अपेक्षित है। यदि कार्यकारिणी समिति द्वारा कक्षा की पूर्ण संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश अनुमोदित नहीं किए जाते तो प्राचार्य उसकी जानकारी उपायुक्त को देंगे जो शेष सीटों के लिए प्रवेश की अनुमति प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान करेंगे।
- (iv) कक्षा 11वीं के लिए पंजीकरण 10 वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद किए जाएं और सीबीएसई बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के 30 दिनों के भीतर कक्षा की पूरी संख्या तक प्रवेश पूरे कर लिए जाने चाहिए। विद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण यदि कक्षा क्षमता तक प्रवेश दिए जाने में कोई कठिनाई आती है तो ऐसी स्थिति में अन्य कक्षाओं के लिए निर्धारित ऊपर दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपायुक्त के अनुमोदन से कक्षा की संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश 31 जुलाई तक पूरे कर लिए जाएं।
- (v) प्राचार्य द्वारा पंजीकरण फार्म निःशुल्क में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- (vi) सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरा हुआ पंजीकरण फार्म निर्धारित तिथि के भीतर विद्यालय कार्यालय में अवश्य जमा किया जाए।
- (vii) पंजीकरण फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक है।

3. दस्तावेज

- कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु के प्रमाण के लिए जन्म पंजीकरण के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र। इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद्/नगर पालिका/नगर निगम के प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्मतिथि संबंधी उद्घरणों या एफिडेविट को लिया जाएगा। अन्य कक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा निर्गत स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। जन्मतिथि के मूल प्रमाण-पत्र को सत्यापन के पश्चात अभिभावकों को लौटा दिया जाना चाहिए। कक्षा 8 तक प्रवेश बिना किसी अन्य विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के भी दिए जा सकते हैं बशर्ते बच्चा प्रवेश पाने योग्य हो और शपथ पत्र या उसका जन्म प्रमाण-पत्र सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया हो।
- माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों के माता अथवा पिता के माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी के साथ संबंध होने के बाबत के प्रमाण की आवश्यकता है।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों के लिए कर्मचारियों से संबंध होने का प्रमाण होना आवश्यक है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ ओबीसी(नॉन क्रिमीलियर)/ बीपीएल/विकलांग इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु बच्चे से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रवेश के 3 माह के अंदर जमा करना होगा।
- विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/5/88/स्था७ (एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिसमें विकलांगता प्रमाणित की गई हो, उपलब्ध हो। उन मामलों में जहां बच्चे की विकलांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण-पत्र के विकलांगता समझी जाएगी। तथापि अभिभावक को सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा करने के लिए कहा जाए।
- पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण-पत्र जिसमें कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य सुसंगत ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों।
- वर्दीधारी रक्षा कर्मियों के लिए सेनानिवृत्ति प्रमाण-पत्र।
- निवास प्रमाण

टिप्पणी :-

- (i) पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) अपूर्ण रूप से भरे आवेदन फार्म सामान्यतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। रिक्तियों के शेष रहने के मामलों में, प्राचार्य अपने विवेक पर बाद में भी प्रपत्र को पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।
- (iii) गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) जब किसी बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए एक केंद्रीय विद्यालय में पंजीकृत किया जाता है लेकिन परिणाम की घोषणा से पूर्व ही उसके अभिभावक किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो बच्चे को ऐसी स्थिति में अपने अभिभावक के तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकृत माना जाना चाहिए चाहे वहाँ प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त भी हो गई हो। पंजीकृत फार्म की मूल प्रति तैनाती के स्थान पर

स्थित केंद्रीय विद्यालय को स्थानांतरित कर दी जाए एवं फोटोप्रति उस विद्यालय द्वारा रखी जाए जहां बच्चा पहले पंजीकृत हुआ था।

4. कक्षा-1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया

नए प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 15% सीट अनुसूचित जाति एवं 7.5% सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में कमी रहने पर आरटीई कोटे के तहत भर्ती अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या पर विचार करने के बाद ही गणना की जाएगी।

पहले चरण में कक्षा -1 के प्रत्येक सेक्शन के 10 सीट(40 सीट में से) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत(25%) भरा जाएगा और ये 10 सीट एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी(नॉन क्रीमीलायर)/विकलांग के सभी आवेदनों को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

- (1) दूसरे चरण में शेष सीटों को मौजूदा प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली के आधार पर भरा जाएगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में कमी को प्रवेश प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार भरा जाएगा।
- (2) उदाहरण के लिए: एक सेक्शन स्कूल में 6 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%) आरक्षित हैं। मान लिया जाये कि, पहले चरण में आरटीई के तहत लॉटरी प्रणाली द्वारा 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों, 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार और 1 विकलांग उम्मीदवार को प्रवेश दिया गया है, तो उपलब्ध एससी सीटें 06-02=4 और एसटी 3-1=2 की सीटों के रूप में विचार किया जाएगा। पंजीकृत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में शेष उम्मीदवारों को प्रवेश प्राथमिकता श्रेणियों के क्रम में विचार किया जाएगा। इस प्रकार से शेष 24 सीटों पर प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पणी-1:

- क) आरटीई के तहत आरक्षित 10 सीटों को किसी भी मामले में अनारक्षित नहीं किया जाएगा।
- ख) 20 जुलाई के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को इंटरचेंज अर्थात एससी को एसटी और एसटी को एससी में इंटरचेंज किया जा सकता है।
- ग) अगर पंजीकरण के पहले स्पैल में आरटीई के तहत आवश्यक उम्मीदवार पंजीकृत नहीं होते हैं तो अप्रैल माह में दूसरी अधिसूचना जारी की जाए।
- घ) सुविधा वंचित समूह/ कमजोर वर्ग/ बीपीएल/ ओबीसी(नॉन क्रीमीलायर) की परिभाषा/पात्रता संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तय की जाएगी।
- ड) कक्षा-1 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

टिप्पणी-2:

(क) सुविधा वंचित समूह की परिभाषा:

1. सुविधा वंचित समूह के बच्चे का तात्पर्य उन बच्चों से है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अन्य समूह जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, लैंगिक और अन्य कारकों के आधार पर समुचित सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर [आर टी ई एक्ट की सेक्शन 2 (घ)] सुविधा वंचित समूह में विनिर्दिष्ट किया गया हो।
2. विशेष जरूरतों और अशक्तता से संबंधित बच्चों का अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसे अशक्तता अधिनियम के अंतर्गत अथवा जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा परिभाषित किया गया हो।

(ख) कमजोर वर्ग की परिभाषा

- कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले बच्चे का अभिप्राय है जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय वहाँ की समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित (सेक्शन 2 ई) के द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय सीमा का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लागू होगा।

(ग) पड़ोस की परिभाषा और निवास का प्रमाण

यद्यपि केंद्रीय विद्यालय विभिन्न जनसंख्या घनत्व में अवस्थित है, पड़ोस के क्षेत्र की सीमा का निर्धारण के लिए निम्न तरह से वर्गीकृत किया गया है: -

1. प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र) 5 कि.मी. की परिधि
2. ऊपर 1 में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. की परिधि

टिप्पणी: 1. सभी आवेदकों को अपने निवास का प्रमाण देना होगा तथापि निवास प्रमाण न होने की परिस्थिति में प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता है।

2. अभिभावकों द्वारा दूरी संबंधी लिखित स्व:घोषणा को इस आशय के लिए स्वीकार कर लिया जाए।

5. ड्रॉ की पर्चियां निकालने के लिए समिति का गठन

प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 व अन्य कक्षाओं जहां उपलब्ध सीटों की संख्या के लिए किसी वर्ग विशेष या स्थानांतरणों की संख्या समान हो जाने पर उपलब्ध सीटों की संख्या को समायोजित न किया जा सके ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे मामलों को निपटाने के लिए ड्रॉ के पर्यवेक्षण के लिए एक समिति का गठन किया जाए।

समिति में निम्न 05 सदस्यों को शामिल किया जाएगा :

1	प्राचार्य	संयोजक
2	शिक्षक	सदस्य (प्राचार्य द्वारा नामांकित)
3 व 4	दो अभिभावक(एक महिला)	सदस्य,(एक अभिभावक जिसके बच्चे का प्रवेश आरटीई अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 12(1)(ग) के अंतर्गत किया जाना है।)
5	विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य	सदस्य के (वि.प्र.स.के. अध्यक्ष द्वारा नामांकित)

- प्राचार्य द्वारा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में से एक अतिरिक्त छठा सदस्य नामांकित किया जा सकता है जहां ये कक्षाएं उपलब्ध है।
- अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति की सहमति से इस समिति के गठन की अधिसूचना ड्रॉ के कम से कम 5 दिन पहले कर दी जाए और उसे विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए।

6.शुल्क एवं अन्य रियायतें

* आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन 25% बच्चों को प्रवेश दिया गया है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

* विद्यालय द्वारा ऐसे सभी बच्चों को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा और नोट-बुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और परिवहन से सम्बंधित अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति आरटीई

अधिनियम 2009 के अंतर्गत 25% बच्चों के प्रवेश के लिए निर्धारित खर्च की उच्चतम सीमा के अंतर्गत मूल बिल पेश करने पर की जाएगी।

* एक बार जब किसी बच्चे का आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा-1 में प्रवेश मिल जाता है उसे कक्षा- 8 तक सभी रियायतें उसी केंद्रीय विद्यालय में मिलती रहेगी और स्थानांतरण होने पर दूसरे केंद्रीय विद्यालय में भी उन रियायतों का लाभ मिलता रहेगा।

* अभिभावक का निवास प्रमाण पंजीकरण के समय पेश किया जाना चाहिए।

* यदि किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा फीस के प्रतिपूर्ति का लाभ मिल रहा है तो वह आरटीई अधिनियम की रियायतों का दावा नहीं कर सकता है।

7. कक्षा ii से viii में प्रवेश की पद्धति

क. **कक्षा (ii) से कक्षा viii** : कक्षा I की भाँति-कक्षा ii से viii में प्रवेश के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी तथा प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली(1 से 5 या 6 मामले के अनुसार) के आधार पर दिए जाएं। यदि सीटों की संख्या से अधिक आवेदन हो तो प्रत्येक श्रेणी के कोटे (माता पिता की इकलौती पुत्री संतान सहित) को भी लॉटरी (कक्षा6 और उपर की कक्षाओं) व्यवस्था से भरा जाए।

8. कक्षा IX में प्रवेश की पद्धति

कक्षा IX में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्राथमिकता की प्रत्येक श्रेणी के लिए योग्यताक्रम के अनुसार अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी। **सामान्य प्रवेश दिशा निर्देश भाग क, पैरा-3** में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुरूप श्रेणियों के क्रम के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

सामान्य दिशानिर्देश भाग क, पैरा 3 :-

- (i) प्रवेश-परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों में आयोजित की जाएगी।
- (ii) अभ्यर्थी को सभी विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार योग्यता सूची तैयार की जाएगी। प्रवेश में भाषा अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में कम अंक होने पर 5अंकों तक छूट दी जा सकती है ।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी कुल योग का 25% अंक प्राप्त करने पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

9. कक्षा XI में प्रवेश की पद्धति

i. **के.वि. छात्रों के लिए:** केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में विभिन्न स्ट्रीमों अर्थात् विज्ञान, कॉमर्स और मानविकी में प्रवेशों को निम्नलिखित तरीकों से नियमित किया जाएगा:

क) प्रत्येक विद्यालय कक्षा 10 में सीबीसीई में सभी आवेदकों द्वारा प्राप्त सीजीपीए के आधार पर सभी योग्यता सूची तैयार की जाएगी।

ख) प्रत्येक स्ट्रीम में विद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या (कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या-40)और छात्र द्वारा जिस स्ट्रीम का चयन किया गया है के अनुरूप ऊपर क में तैयार योग्यता सूची के अनुरूप सीट आबंटित की जाएगी।

ग) मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जो भी रियायतें लागू हों उनको शामिल किया जाएगा।

घ) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों ने एक ही समान सीजीपीए प्राप्त की है तो ऐसे उम्मीदवारों की आपस में योग्यता को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

i) जिस उम्मीदवार ने गणित में ज्यादा ग्रेड पॉइंट प्राप्त किए हैं उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

ii) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों को गणित में समान ग्रेड पॉइंट हैं तो तब गणित और विज्ञान दोनों को मिलाकर उच्च ग्रेड वाले को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

- iii) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों को गणित और विज्ञान दोनों के ग्रेड पॉइंट में टाई होता है तो जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा है उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।
- च) प्राचार्य कक्षा 11 में कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या तक प्रवेश दे सकते हैं।
- छ) विद्यार्थी, जो प्रवेश के लिए पहले किसी विशेष संकाय में पात्र नहीं पाए गए हैं उन्हें उस विशेष संकाय में अगले शिक्षा-सत्र में प्रवेश के लिए कक्षा 11वीं में नए प्रवेश के रूप में लिया जा सकता है बशर्ते कि उसने एक वर्ष के दौरान अपना निष्पादन उसी बोर्ड से सुधार लिया हो।
- ज) अगर विद्यालय सभी छात्रों को और निकटतम केन्द्रीय विद्यालय जो कक्षा 10 तक है उसके छात्रों को समायोजित करने में सक्षम नहीं है, तो संबंधित उपायुक्त के अनुमोदन से कक्षा की निर्धारित संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

टिप्पणी :

इंफोर्मेटिक प्रेक्टिसेस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में सभी स्ट्रीम में दिया जाता है। अतः इसमें प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

कम्प्यूटर साइंस और बायो टेक्नोलॉजी जहां भी ऐच्छिक विषय के रूप में उपलब्ध है विज्ञान स्ट्रीम में विद्यालयों को दी जाए और प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार दिए जाएंगे। मल्टीमिडिया और वेब-डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी (जहां उपलब्ध हैं) को संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार सभी संकायों में (वाणिज्य, मानविकी व विज्ञान) में दिए जा सकते हैं।

ii) गैर केन्द्रीय विद्यालय छात्रों को नए प्रवेश

क) अपने केंद्रीय विद्यालय और और निकटतम केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों को समायोजित करने के उपरांत अगर रिक्तियां शेष रहती हैं तो गैर केन्द्रीय विद्यालय छात्रों को नए प्रवेश दिए जा सकते हैं। शेष रिक्तियों के लिए नए प्रवेश प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम में निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किए जाएंगे :-

i) विज्ञान और कॉमर्स संकाय - न्यूनतम 8.0 सीजीपीए

ii) मानविकी संकाय - न्यूनतम 6.4 सीजीपीए

ख) मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जो भी रियायतें लागू हों, उनको शामिल किया जाएगा।

iii) कक्षा-11 में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाएगी:

क. विभिन्न स्तरों पर खेलकूद/स्काउटिंग और गाइडिंग/एनसीसी/साहसिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध होंगी। इसके लिए प्रमाण-पत्र किसी भी वर्ष का हो सकता है।

क्र मां क	खेलकूद	एनसीसी	स्काउट/गाइड	विज्ञान/वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु साहसिक क्रियाकलाप	अंको/ग्रेड प्वाइंटों में छूट
क	एसजीएफआई अथवा समकक्षीय स्तर पर सहभागिता	'ए' प्रमाण-पत्र और गणतंत्र दिवस/ प्रधानमंत्री रैली में प्रतिभागिता	राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण-पत्र	शून्य	सीजीपीए में 0.8 अंक
ख	केविसं/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतिभागिता	'ए' प्रमाण-पत्र और जिला/राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कैडेट	7 दक्षता बैजों के साथ राज्य पुरस्कार	शून्य	सीजीपीए 0.6 अंक
ग	केविसं क्षेत्रीय/जिला स्तर पर प्रतिभागिता	'ए' प्रमाण-पत्र	5 दक्षता बैजों के साथ तृतीय सोपान प्रमाण- पत्र	कम से कम किसी 10 दिवसीय साहसिक क्रियाकलाप में प्रतिभागिता	सीजीपीए 0.2 अंक

खेलकूद/स्काउट/गाइड/एनसीसी/साहसिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकतम छूट 0.8 सीजीपीए से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में एक से अधिक छूट की योग्यता की स्थिति में उम्मीदवार को अधिकतम लाभ की एक छूट दी जाएगी(यह लाभ गैर के.वि. विद्यार्थियों को भी नए प्रवेश के समय प्रदान किया जाए)

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को 11वीं में विज्ञान/वाणिज्य/मानविकी संकाय में प्रवेश के लिए 0.4 तक सीजीपीए में ग्रेड उच्च/अपग्रेड दिया जाएगा।

अनुलग्नक - भाग 'ग'

प्रवेश कार्यक्रम और प्रक्रिया

आवेदन फार्म जारी करने एवं बच्चों के पंजीकरण हेतु अलग-अलग तिथियाँ नहीं होंगी। ये दोनों कार्य साथ-साथ किए जाएंगे। वर्ष 2013-14 के लिए प्रवेश समय-सारणी निम्नवत् होंगी:

विषय सूची	निर्धारित तारीखें
'क' प्रवेश का प्रथम चरण	
क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रवेश के लिए विज्ञापन	फरवरी 2013 का पहला सप्ताह (5 फरवरी से पहले)
कक्षा 1 एवं अन्य कक्षाओं के लिए आवेदन फार्म जारी करना और पंजीकरण (11वीं कक्षा को छोड़कर)*	08 फरवरी 2013 से प्रारंभ
कक्षा 1 तथा अन्य कक्षाओं के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि	10-03-2013
कक्षा 1 के लिए सूची की घोषणा एवं प्रवेश	18.03.2013 से 25.03.2013 तक
आरटीई के प्रावधान के तहत प्रवेश के लिए द्वितीय अधिसूचना की विस्तारित तारीख	05-04-2013(अगर आरटीई के प्रावधान के तहत पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए हो)
कक्षा 2 और ऊपर की कक्षाओं के लिए सूची की घोषणा	16.04.2013
कक्षा 2 और ऊपर की कक्षाओं के लिए प्रवेश	17.04.2013 से 24.04.2013 तक
कक्षा 11 के लिए पंजीकरण *	बोर्ड परीक्षा परिणामों की घोषणा के 20 दिनों के भीतर
कक्षा 11 के लिए सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश	बोर्ड परीक्षा परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर
प्रवेश की अंतिम तिथि	31.07.2013
30 सितंबर के पश्चात 30 नवंबर तक स्थानांतरित होकर आए केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश की अनुमति स्थान उपलब्ध रहने पर, आयुक्त, केविसं द्वारा प्रदान करना।	30.11.2013 तक
'ख' प्रवेश का द्वितीय चरण *(यदि सीटें रिक्त हों)	
कक्षा 2 और उससे ऊपर की रिक्तियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय एवं विद्यालय स्तर पर अधिसूचना	25.06.2013
पंजीकरण	25.06.2013 से 30.06.2013 तक
प्रवेश-सूची का प्रदर्शन	07.07.2013
प्रवेश	09.07.2013 से 16.07.2013

* किसी कक्षा में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर।

भाग- घ
PART- D
फार्म और प्रपत्र
FORMS AND FORMATS



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan

पंजीकरण संख्या
REG. NO.

क्रम सं०/S.No

वर्ष/Year 2013

Photograph of
the child

(पासपोर्ट फोटो
Passport size)

पंजीकरण के लिए कक्षा/Registration for class.....
(कृपया (कृ. उचित बाक्स में सही का चिह्न लगाएं/Put tick mark in appropriate box)

प्रथम पाली
Ist Shift

या
OR

द्वितीय पाली
IInd Shift

1. विद्यार्थी का पूरा नाम

Name of child in full (in Capital letters).....

पुरुष/स्त्री
Sex M/F

दिन/Day

मास/Month

वर्ष/ Year

2. जन्म तिथि (अंको में)

Date of Birth (in figures)

शब्दों में/In words.....

आयु 31-3-13 तक
Age as on 31.3.13

वर्ष

Years

मास

Months

दिन

Days

3. बच्चे का ब्लड ग्रुप

Blood Group of the child

4. छात्र की श्रेणी

The category to which child belongs

सामान्य	अनु.जाति	अनु.जन.जाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	बीपीएल	विकलांग	इकलौती पुत्री
Gen.	SC	ST	OBC	EWS	BPL	Disabled	
SG Child							
<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>

5. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ बी सी से/आर्थिक रूप से कमजोर/बी पी एल/विकलांग/इकलौती कन्या यदि हां तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें। Whether the child belongs to (Gen./SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G.) category? Please attach relevant certificate.

6. माता-पिता का ब्योरा/ Details of Mother/ Father

माता/ Mother

पिता/ Father

(i) नाम/ Name (in Capital letters)

(ii) राष्ट्रियता/ Nationality

(iii) व्यवसाय/ Occupation

(iv) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष /
Name of Office and full address
with Telephone numbers

(v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित)
Full residential address with
Telephone numbers (with proof)

(vi) विद्यालय से दूरी/ Distance from KV

(vii) स्थाई पता/Permanent Address

(viii) मूल वेतन/ Basic Pay

(ix) 31-3-2013- तक पिछले सात वर्ष के
सेवा काल के दौरान स्थानांतरणों की संख्या
No.of transfers during last 7 years as on
31-3-2013

(x) अभिभावक की श्रेणी रक्षा/केन्द्रीय कर्मी/
स्वायतशासी व अन्य
Category to which the Parent belong to
Defence/Central Govt. /Autonomous
Body & others

मैं एतद द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियां मेरी जानकारी मे सत्य हैं।

I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

अभिभावक के हस्ताक्षर/Signature of Parent

पूरा नाम/Full Name.....

तिथि/Date:

पावती/Acknowledgement

क्रम.सं0/S.No.

पंजीकरण संख्या/Registration No.....

श्री/श्रीमती-----
----- से उनके पुत्र/पुत्री ----
-----का कक्षा-----
-----में प्रवेश हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त किया।

Received an application from
Shri/Smt.....for registration
of her/ his son/ daughter.....for admission to
class.....

प्राचार्य/ Principal
केन्द्रीय विद्यालय (मोहर) Kendriya Vidyalaya (Stamp)

तिथि/ Date.....

Note: 1. आवेदक द्वारा निवास प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा/ Proof of residence shall have to be produced by all applicants.

2. अभिभावकों द्वारा दूरी संबंधी स्व:घोषणा को अभिवचन के रूप में लिया जा सकता है/
A self-declaration from the parent for distance may also be accepted by furnishing an undertaking to this effect.

सेवा प्रमाण पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(केंद्र सरकार/Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....कार्यालय/मंत्रालय मे कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी/एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ/केन्द्रीय सरकार स्वायित संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के/की कर्मचारी हैं जिनका पूर्ण/आंशिक वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और उसकी सेवाएं भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....is working in the office/Ministry ofHe/She is an employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. and his/her services are transferable anywhere in India.

सेवा प्रमाण पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(राज्य सरकार/State Govt)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....कार्यालय/मंत्रालय मे कार्यरत हैं। वह राज्य सरकार के एक कर्मचारी है और राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt..... Is working in the office/Ministry of He/ She is an employee of State Government transferable anywhere in the state.

स्थान एवं दिनांक

Place & Date

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)

Sign. & Name in block letters and design of the head of office with stamp

दूरभाष/Telephone NO.

प्रमाणित किया जाता है कि-----
 -----स्वर्गीय श्री/श्रीमती-----
 के पुत्र/पुत्री हैं जोs-----में सेवारत थे और
 उनका देहावसान सेवाकाल के दौरान दिनांक-----को हो गया थाA

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----
 -----जो----- के माता पिता है वर्तमान वर्ष की
 31 मार्च से सात वर्षों के दौरान उनके ----- स्थानांतरण हुए हैं।
 एकक/कार्यालय और ऐसी तैनाती की अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है,

Certified that Master/Km.....is the son/daughter of
 late Sh./Smt.....who was employed in the
 Office/Ministry/Defence service. He/she had died in harness on
 the.....

It is further certified that.....(Particulars of
 son/daughter.....has/had.....(No. of posting) transfers during the
 preceding last seven years from 31st March of the current year. The Unit Office & the duration of
 such postings involving change of station are given below:-

क्र. सं. S.No.	पदनाम Designation	स्थान Place of Posting	ठहरने की अवधि Period of stay		आदेश संख्या Order No.
			से From	तक To	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

स्थान एवं दिनांक
 Station with date

कार्यालय अध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर (कार्यालय की
 मोहर)
 Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with stamp

पता/Address -

दूरभाष /Telephone

No.....

टिप्पणी- रक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा प्रमाण पत्र पर कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
 अपेक्षित है।

Note : The service Certificate should be signed by the officer commanding in case of employees working in defence
 establishment.

केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए प्राथमिकता- 1* के अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र/
**CERTIFICATE FROM PRIORITY - 1* CANDIDATES FOR ADMISSION IN CLASS I, IN
 KENDRIYA VIDYALAYAS**

में, श्रीमती/श्री.....रैंक/पदनाम.....यूनि

ट/पोत/विभाग का नाम एतद्वारा प्रमाणित

करती/करता हूँ कि पिछले सात वर्षों के दौरान मेरा स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे पर

(अंको एवं शब्दों में) बार हो चुका है जिनका विवरण निम्नवत है:

I, (Smt./Shri) _____ (Name) _____

_____ (rank/designation) of _____ (unit/ship/

Deptt). do hereby certify that during the past 7 years I have been transferred _____ times (in

figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र. सं. S. No	फॉर्मेशन/यूनिट/ विभाग/डिपो/ कार्यालय Formation/Unit/ Depot/Office	क्या स्थानांतरित होने पर परिवार सहित गए Whether moved with family	स्थान/ Place	अवधि/Period		ठहरने की कुल अवधि Total Period of stay	स्थानांतरण प्राधिकारी Authority of move
				कब से From	कब तक To		

में यह भी प्रमाणित करती/करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्यों के गलत पाए जाने पर मेरे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य कर दिया जाए। I further certify that in case the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission to Kendriya Vidyalaya.

स्थान/Place :

दिनांक/Date :
PARENT

अभिभावक के हस्ताक्षर/ SIGNATURE OF

कृपया प्रवेश दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकता का उल्लेख करें/ PLEASE REFER
PRIORITIES PRESCRIBED IN ADMISSION GUIDELINES.

प्रतिहस्ताक्षरित/ COUNTERSIGNED

(कर्नल या समकक्ष रैंक के कमान अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाए/ Countersigned by
Commanding Officer / controlling Officer of the Rank of Colonel OR Equivalent)

में, श्रीमती/श्री.....रैंक/पदनाम.....यूनिट/

पोत/विभागका नाम

.....एतद्वारा प्रमाणित करती/करता हूँ कि पैरा -1

में दिए गए विवरण कार्यालय के रिकार्ड से प्रमाणित कर लिए गए हैं और सही पाए गए हैं।

I, Sh.-----rank/designation-----

-----name-----unit/ship/department---

-----hereby certify that the particulars given in para 1 have been

authenticated by the records held in the office and found to be correct.

स्थान/Place :

दिनांक/Date :

हस्ताक्षर
OFFICER)

(यूनिट के कमान अधिकारी/ओसी के
SIGNATURE OF THE CO/OC UNIT/CONTROLLING

1. एक स्थान पर तैनाती/ठहरने की न्यूनतम अवधि छह माह होनी चाहिए/ Minimum period of posting/stay at a place should be six months |
2. नौसेना/वायुसेना/अर्धसैन्य बलों के कर्नल या समकक्ष या उनसे उच्चतर स्तर के अधिकारी द्वारा प्रपत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए। Form to be signed by an officer not below the level of Colonel or equivalent in Navy/Air Force/Para-Military Forces.
3. यदि कमान अधिकारी का रैंक कर्नल के रैंक से नीचे स्तर का हो, तब स्टेशन कमांडर/कर्नल/स्टेशन कर्नल द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। In case the CO is below the rank of Colonel, the form be signed by the Station Commander/Colonel/Colonel in a station.

**Format for Recommendations to be made by Hon'ble
Members of Parliament.**

KVS NO. -----

(NAME & ADDRESS OF THE MP)

F.-----

Dated _____

Dear -----

I am to refer to your letter No. F. 110331/02/2012-KVS (Hq)/SP.Disp/MP. Dated-11.5.2010 regarding recommendations for admissions of the children in Kendriya Vidyalayas under Special Dispensation and recommend the following six names whose particulars are given below:

S.No.	Name of the Child	Father's/Mother's Name	Class	Name of KV	Residential Address
1.					
2.					
3					
4					
5					
6					

The above two recommendations are for the session 2013-14 and the parents are the resident of my constituency.

Yours sincerely,

The Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18, Institutional Area
Shaheed Jeet Singh Marg
Delhi-110602

केविसं कूपन संख्या.....

.....

.....

.....

(सांसद का नाम एवं पता)

फा. सं.....

दिनांक.....

प्रिय श्री

विशेष छूट के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश के लिए सिफारिशों से संबंधित दिनांक के आपके पत्र संख्या-केविसं(मु)/वि.छूट/ सांसद प्रवेश के संदर्भ में, मैं निम्नलिखित छह नामों की सिफारिश करता/करती हूँ जिनका ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:-

क्रम सं	बच्चे का नाम	माता/पिता का नाम	कक्षा	केवि का नाम	आवसीय पता
1.					
2.					
3					
4					
5					
6					

उपर्युक्त सभी सिफारिशें सत्र के लिए हैं और इनके माता-पिता मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं।

आपका

आयुक्त,
केंद्रीय विद्यालय संगठन,
18, संस्थागत क्षेत्र,
शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली-110016

GUIDELINES FOR ADMISSIONS

IN

KENDRIYA VIDYALAYAS

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
NEW DELHI

CONTENTS

PART-A GENERAL GUIDELINES

PART-B SPECIAL PROVISIONS

PART-C ADMISSION PROCEDURE

PART-D FORMS & FORMATS

GUIDELINES FOR ADMISSION IN KENDRIYA VIDYALAYAS

PART- A

GENERAL GUIDELINES

1. In supersession to all the guidelines governing admissions in Kendriya Vidyalayas that have been issued in the past, the following guidelines are issued to regulate admissions in the Kendriya Vidyalayas with effect from the academic session 2013-14. These guidelines are not applicable to KVs abroad.

2. DEFINITIONS

Unless the context suggests otherwise, the definition of the following terms used in these guidelines would be as below:-

- (i) CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES: An employee who draws his emoluments from the consolidated fund of India.
- (ii) TRANSFERABLE: An employee who has been transferred at least once in the preceding 7 years shall be deemed to be transferable.
- (iii) TRANSFER: An employee would be treated as transferred only if he/she has been transferred by the competent authority from one place/urban agglomeration to another place/urban agglomeration which is at a distance of at least 20 kms and minimum period of stay at a place should be six months.
- (iv) AUTONOMOUS BODIES / PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS: Organizations which are fully financed by the government or where the government share is more than 51 per cent would be deemed to be autonomous bodies/ public sector undertakings.

3. PRIORITIES IN ADMISSION

The following priorities shall be followed in granting admissions:-

(A) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER CIVIL/DEFENCE SECTOR:

1. Children of transferable and non-transferable central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of foreign national officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.
2. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.
3. Children of transferable and non-transferable State Government employees.
4. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.
5. Children from any other category including the children of foreign nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. **The Children of Foreign Nationals** would be considered only in case there are no Indian Nationals' waitlisted for admission.

Note: Preference in Admission to wards will be granted based on the number of transfers of the parents in the last 7 years.

(B) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/ INSTITUTES OF HIGHER LEARNING:

1. a) Children and grandchildren of employees of the Public Sector Undertakings/Institutes of Higher learning which are the sponsors of the Vidyalaya.
b) Children of project employees & Post Graduate students who are working on long term research projects.
c) Children of regular Council of Wardens (COW) employees.
d) Children and Grand Children of retired employees to be included in category I for the purpose of admission.
2. The priorities criteria for Kendriya Vidyalayas under Civil/Defence Sectors (Para 3 (A)) will follow in the same sequence, thereafter.
3. Children of employees of Institutes of Higher learning who had to discontinue school to accompany parents going out of station on sabbatical leave/long leave, over and above the class strength.

4. ELIGIBLE AGE FOR ADMISSION

A Child must be 5 years old as on 31st March in the academic year in which admission is sought for Class I.(Child born on 1st April should also be considered.)

- A.** The minimum and maximum age limit for admission in Kendriya Vidyalayas in various classes is given below:

CLASS	MINIMUM AGE ON 31ST MARCH OF THE YEAR IN WHICH ADMISSION IS SOUGHT	MAXIMUM AGE ON 31ST MARCH OF THE YEAR IN WHICH ADMISSION IS SOUGHT
I	5 years	7 years
II	6 years	8 years
III	7 years	9 years
IV	8 years	10 years
V	9 years	11 years
VI	10 years	12 years
VII	11 years	13 years
VIII	12 years	14 years
IX	13 years	15 years
X	14 years	16 years

NOTE:

- a. The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Physically Challenged children by the Principal.
- B.** There is no age restriction for admission to Class XI provided the student is seeking admission in the year of passing Class X examination. Similarly, there will be no upper & lower age limit for admission to class XII provided there has been no break in the continuous study of the student after passing class X/XI.

5. CLASS STRENGTH AND COMPETENT AUTHORITIES

Class Strength	Authority	Date (s)	Remarks
40	Principal	Up to 31 st July	Registered and eligible candidates
Up to 45	Chairman, VMC	1 st August to 30 th September	Provided such candidates are the wards of Central Govt. employees belonging to category-I, joining on transfer after the registration process is over, on first-cum-first serve basis. The children of parents belonging to Cat. I transferred during previous years will also be considered eligible for admission, if seats are available after accommodating the children of category – I parents transferred during the current academic session. The KVs established in project / institutes of higher Learning would also be covered under this provision.
Up to 45	Commissioner, KVS	Up to 30 th November	Wards of Central Govt./PSU/IHL employees joining on transfer after 30 th September subject to availability of vacancies.

A. SCHEDULE CASTE AND SCHEDULE TRIBE CATEGORY

15% seats for Scheduled Caste and 7.5% seats for Scheduled Tribes shall be reserved in all fresh admissions in all Kendriya Vidyalayas.

B. PHYSICALLY HANDICAPED CATEGORY

3% seats of total available seats for fresh admission will be horizontally reserved for Differently Abled-children, visually challenged, orthopedically and hearing impaired etc.

6. ADMISSION WITH KV TRANSFER CERTIFICATE INCLUDING LOCAL TRANSFER (TC).

- (i) Admission of children with KV TC will be automatic (over and above Class strength) if the parent has been transferred from one station to another. When the class strength reaches 55, the efforts should be initiated to open additional sections.
- (ii) Defence personnel and Para-military Forces who shift their families to a station of their choice whenever they are transferred to some non-family areas or posted in Naxal affected areas, can admit their children on KV TC in a KV located at the station where they will keep their family.
- (iii) In all other cases where transfer of the parent is not involved, the admission with KV TC would be done only with the prior approval of the Deputy Commissioner of the region concerned.
- (iv) All cases of local transfer on KV TC will be done with the approval of DC concerned on merit.
- (v) A student with KV TC may also be permitted in project KVs only up to class strength of 45 with the prior concurrence of Chairman, VMC. Beyond this no admission on KV TC would be done in project schools. However, Deputy Commissioner of the region is empowered to allow admission in the project/nearest KV in extremely deserving cases.

7. CHANGE OF SHIFT

Students already admitted in second shift can switch over to first shift or first shift students to second shift with the approval of Vidyalaya Management Committee (VMC) only in order of priority of service category, if the class/section class strength is less than 45. However, other genuine cases will be decided on individual merit of case to case with prior approval of Deputy Commissioner of the Region concerned with the class/section strength mentioned above i.e. 45.

The VMC before granting approval must examine the merit of each case provided the enrolment in each section of the Kendriya Vidyalaya does not violate the prescribed norm of class strength as mentioned. Such cases pertaining to change of shift will not be referred to KVS (HQ) for consideration.

8. EQUIVALENCE OF N.I.O.S./STATE BOARDS/ICSE FOR ADMISSION IN CLASS XI IN KENDRIYA VIDYALAYAS

The students of State Boards/ICSE/NIOS where marks are awarded be considered for admission in class XI if vacancies exist. The marks awarded in various subjects are considered against the corresponding Grade awarded by CBSE.

* Marks of different subjects are to be converted into grades as per CBSE norms as given below:

Conversion of marks into Grades:

Marks range	Grade	Marks range	Grade
91-100	A ₁	51-60	C ₁
81-90	A ₂	41-50	C ₂
71-80	B ₁	33-40	D
61-70	B ₂	21-32	E ₁
		0-20	E ₂

9. ADMISSION FOR CLASS X AND XII

Admissions to class X & XII, other than KV students, will be entertained subject to availability of vacancies. Such admissions to class X and XII will be considered by the Deputy Commissioner of the Region concerned, only if, the average strength in class X/XII is below 40. This will further be subject to the following conditions:

- i) The child has been in the same course of studies i.e. in a CBSE-affiliated school.
- ii) The child must have obtained not less than 6.5 CGPA in class IX (CGPA be calculated as per formula applied by CBSE in class X). For admission to class XII 55% marks in class XI examination is mandatory.
- iii) The child should OTHERWISE be eligible as per KVS admission guidelines.
- iv) The combinations of subjects opted by the student are available in Kendriya Vidyalayas.

10. ADMISSION OF CHILDREN STUDYING ABROAD

A KV Student, who went abroad with his parents on their deputation to a foreign country, will be admitted to corresponding class on their return to India by the Principal of Kendriya Vidyalaya concerned.

11. In case any issue related to the interpretation of admission guidelines the decision of Commissioner KVS will be final.

GUIDELINES FOR ADMISSION IN KENDRIYA VIDYALAYAS

PART- B

SPECIAL PROVISIONS

The following special provisions will be operative for admission for Academic session 2013-14:

- A.** Following categories of children would be admitted over and above the class strength except where stated otherwise in the provision itself (e.g. Item No. XVI).
- i. The children and dependent grandchildren of Hon'ble Members of Parliament.
 - ii. Children and Grandchildren (children of son or / and daughter) of serving and retired KVS employees.
The Children and grand children of the serving and retired employees of KVS (Kendriya Vidyalayas, Regional Offices, ZIETs and KVS (Hqrs.)) will be considered for admission at any time of the year irrespective of the class strength/year of transfer/recruitment. However, for class IX, the child has to clear the admission test (The Officials/Officers who come on deputation to KVS their wards also should be treated at par with regular KVS employees).
 - iii. Children of Central Government employees who die in harness.
 - iv. Children of recipients of Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra, Ashok Chakra, Kirti Chakra & Shourya Chakra, Sena Medal(Army), Nav Sena Medal (Navy), Vayu Sena Medal (Air Force).
 - v. Children of recipients of President's Police medal for gallantry & Police medal for gallantry.
 - vi. Meritorious sports children who have secured I, II & III position in SGFI/CBSE/National/State level games organized by the Government.
 - vii. Recipients of Rashtrapati Puraskar in Scouts & Guides.
 - viii. Single girl children in class I and from class VI onwards subject to a maximum of two per section in class I and two per class in class VI and onwards. It includes Twin Girl children also.
 - ix. Children who are recipients of National Bravery Award, or of Balshree Award instituted by National Bal Bhawan.
 - x. Children whose parents are a teacher, and is a recipient of National Award for teachers.
 - xi. Children who have shown special talent in Fine Arts and have been recognized at the National or State level.
 - xii. 100 children of employees of the Ministry of HRD would be admitted every year on orders issued by the KVS (HQ).(up to 31st JULY)
 - xiii. 60 admissions in Kendriya Vidyalayas located anywhere in India and 15 children in hostels in Kendriya Vidyalayas, of employees of the Ministry of External Affairs would be admitted each year on orders issued by KVS (HQ). These would be subject to the following conditions for the two categories:-
 1. 60 admissions in Kendriya Vidyalayas located anywhere in India be utilized exclusively for children returning from abroad along with their parents after their posting. Seats under this provision remaining unutilized at the time of normal admissions will remain as such and will be utilized for children who return to India after the beginning of the academic session and up to 30th September. Children who return to India after 30th September would be considered for

admission up to 30th November along with other priority category I children. No special consideration will be given to MEA staff under this priority. All these admissions will be subject to the condition that not more than 5 children would be admitted in one school in a year and that the children would be submitting a transfer certificate of a school abroad, in which they had been studying prior to seeking admission in a KV. All admissions under this provision will stop once the quota for special provisions is completed for concerned classes.

2. 15 seats for admission in hostels in Kendriya Vidyalayas would be allotted to the children whose parents are going abroad on a posting to station, which does not have adequate educational facilities. The required information in this respect would need to be given by the Ministry of External Affairs.
- xiv. 15 children of the employees of the Research and Analysis Wing (RAW) would be admitted on orders to be issued by the KVS Hqrs. Of these, a maximum of 5 seats would be given in Delhi and the remaining would be outside Delhi.
- xv. “In case adequate number of applications for admission of eligible children are not available for provisions under (XII), (XIII), and (XIV), Kendriya Vidyalaya Sangathan may nominate additional names up to the prescribed limit to ensure full utilization of these provisions”.
- xvi. 05 seats in each section of class I and 10 seats in all other classes put together will be reserved every year for the children of the sponsoring agency in all schools except those specifically notified otherwise by the Commissioner. The wards of deceased employees of Public Sector Undertakings who have died while in service may also be included under this quota. In Civil Sector schools sponsored by State Govt., the children of State Govt. employees would come under this provision. Similarly in Defence/ Project/ Institution of Higher Learning sector schools only the children belonging to employees working in these sectors would come under this provision. Admission to class I would be within the approved class strength while for other classes it would be over and above class strength.
- xvii. Chairman, Vidyalaya Management Committee can recommend maximum two admissions in the concerned Kendriya Vidyalaya under his discretionary quota. These two admissions may be recommended in one class or all classes put together except classes X & XII.
- xviii. Wherever land has been sponsored by DDA for Kendriya Vidyalayas located in Delhi, admission to children of regular DDA employees would be restricted to 5 seats per section in class I and 5 seats in all other classes put together. Admission in class I would be within the approved strength of the section while for other classes this would be over and above the class strength.
- xix. Each Hon’ble Member of Parliament can refer six cases for admission under the scheme in an academic year but such recommendations shall be confined to children whose parents belong to his constituency either by domicile or on account of having been soon-before posted there or else on account of exigencies of service migrate to his constituency. Such recommendations would be for admissions in Kendriya Vidyalaya in the constituency of the Hon’ble MP (LOK SABHA), he/she, may recommend these admissions in the Kendriya Vidyalaya(S) located in any neighbouring contiguous constituency. For Member of the Rajya Sabha, the state from which the member has been elected would be deemed to be his constituency for this purpose. Nominated members of the Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend 06 cases for admission in any one or more Kendriya Vidyalaya of the Country.
 - a. These admissions shall be over and above the class strength.
 - b. These recommendations should be made for all classes except pre-primary, and classes X and XII.

- c. These admissions would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut off date (i.e. 31st JULY) of the year.
 - d. The recommendations to be made shall be valid only if these are made in the prescribed format provided to each Member of Parliament by KVS (HQ). Recommendations sent in any other format/manner shall not be considered.
 - e. The children recommended by Hon'ble Members of Parliament must be otherwise eligible for admission as per the extant KVS Admission Guidelines.
- xx. Each Directorate of education of Armed Forces i.e Army, Air Force and Navy can refer 2 cases in admission in an academic year. The Directorate of education of Armed Forces i.e Army, Air Force and Navy can recommend 02 names for admission of wards of Defence Personnel's who are otherwise eligible for admission, in Kendriya Vidyalayas located in Defence Sector. Other terms and conditions will be same as mentioned in (xix a to e) above.

B. ADMISSION OF WARDS OF ARMED FORCES

Automatic admission of children in the Kendriya Vidyalayas on the basis of transfer certificate issued by the CBSE affiliated schools run by Armed Forces (e.g. Army, Air Force and Navy) will be entertained only if the parent has been transferred to that place or has desired to settle at the place after his retirement., provided no Armed forces run School exist in the vicinity of ten km. from the place of posting.

This provision shall be applicable to schools run by Indian Coast Guard also. This provision may also be extended to the children of government employees studying in schools run by ISRO/AEES also.

It is clarified that above provisions are only for the wards of Defence personnel viz. sons & daughters only. This will not include the grand children of Defence personnel. Provisions of KVS admission guidelines including the eligibility criteria for age and marks/Grades will be followed in letter and spirit. Also the fee including VVN is to be paid from the month of admission of the child in the Kendriya Vidyalaya regardless of the fact that the fee for succeeding months have already been paid in the school from which TC has been issued for admission to KV. TCs issued by the CBSE schools of Defence Ministry/Depts/Authority will be endorsed by the concerned Deputy Commissioner of the region where admission is sought.

C. ADMISSION OF PRE PRIMARY STUDENTS IN CLASSES I.

The policy of **automatic admission** of pre-primary students in class I **has been withdrawn** w.e.f. session 2008-09. Now all admissions in class I shall be treated as fresh admissions and shall be dealt with as per rules in vogue.

- D.** Children who were earlier studying in Kendriya Vidyalaya but due to (a) transfer of parent or (b) relocation due to exigency caused by posting of parent to field area was compelled to study in a school other than Kendriya Vidyalaya because no KV was available at that station, if the said parent subsequently gets transferred to a place where a Kendriya Vidyalaya exists, his/her child be considered for admission, consequent upon the transfer/movement of the parent subsequently to a place where a Kendriya Vidyalaya exists, over and above the class strength. A proof to this effect has to be provided by the parent.

GUIDELINES FOR ADMISSION IN KENDRIYA VIDYALAYAS

PART- C

PROCEDURE FOR ADMISSIONS

1. PUBLICITY

An advertisement shall be issued by the Regional Office in the local newspapers in the 1st week of February giving the admission schedule (Annexure follows) and inviting Parents to register their wards for admission in Kendriya Vidyalayas. This advertisement should specifically indicate that admissions in Kendriya Vidyalayas are not restricted to Central Govt. employees and are open to all, only certain priorities have been laid down for different categories to regulate the admissions. The reservations for SC, ST and Physically Handicapped and under RTE Act 2009 should also be indicated.

2. REGISTRATION

- (I) Registration shall not be done if there is no vacancy or likelihood of any vacancy in a particular class. In case a vacancy arises in future, registration can be made after giving wide publicity at local level and admission can be granted as per KVS Admission Guidelines.
- (II) In case the number of children seeking registration is less because of which all seats have not been filled up, the Principal shall issue a second/third advertisement in the months of May and June notifying the availability of vacancies.
- (III) Admissions are required to be made with the approval of the Executive Committee of the Vidyalaya. In case the Executive Committee does not approve the admissions up to the full sanctioned strength of the class, the Principal shall intimate this fact to the Deputy Commissioner who will grant admission to children as per the admission guidelines.
- (IV) Registration for class XI shall be taken up immediately after the declaration of results of class X and admissions up to the full strength of the class should be completed within 30 days after declaration of results by CBSE. In case there is any difficulty in admitting children up to the full strength because of the Executive Committee of the Vidyalaya not approving the same, the procedure as laid down for other classes above shall be followed and admissions up to the sanctioned strength of the class shall be made by 31st of July with the approval of the Deputy Commissioner.
- (V) Registration forms shall be made available by the Principal FREE OF COST.
- (VI) Registration forms complete in all respects and accompanied by all required documents must be submitted to the Vidyalaya office within the prescribed date.
- (VII) Attested copies of the prescribed documents would be required to be submitted along with the application form for registration.

3. DOCUMENTS

- For Class I, certificate of proof of age in the form of a birth certificate issued by the authority competent to register births. This will include certificates from Notified Area Council / Municipality / Municipal Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat, Military Hospital and service records of Defence personnel or Affidavit. For other classes, the date of birth recorded in the transfer certificate issued by a school recognized by the State Education Department would be

accepted. The original certificate of date of birth should be returned to the parent after verification. Admissions up to class-VIII may be granted without any school transfer certificate provided the child is otherwise eligible and his birth certificate has been issued by a Govt. body or affidavit.

- For grandchildren of Hon'ble Member of Parliament and PSU employees a proof of relationship of either of the child's parents with the Hon'ble Member of Parliament or PSU employees would be needed.
- For grandchildren of KVS employee a proof of relationship would be required.
- A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/EWS/OBC(Non-Creamy Layer)/BPL/Disabled, wherever applicable, issued by the competent authority in concerned State Government/Union Government. The certificate in respect of either of the parents may be accepted initially for the purpose of admission, if this certificate is not available for the child. However, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 3 month from the date of admission.
- A certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India O.M. No. 36035/5/88/Estt.(sct) dated 4.5.1999 certifying the child to be handicapped, wherever applicable. In case, where the handicap of the child can be visually seen by the Principal, the child may be accepted as handicapped even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school.
- A service certificate showing the number of transfers during the preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters.
- A certificate of retirement for uniformed Defence employees.
- Proof of Residence.

NOTE:

- (I) Mere registration will not confer a right to admission.
- (II) Incomplete application forms shall normally be rejected. In case vacancies remain, the Principal may allow completion of the form later at his discretion.
- (III) Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained.
- (IV) When a child is registered for admission in class I in a Kendriya Vidyalaya but, before the declaration of the selection list, his parent is transferred to another station, the child should be deemed to have been registered for admission in the Kendriya Vidyalaya at the station of posting even if the last date of registration at that place has expired. The registration form in original is transferred to the Kendriya Vidyalaya of new place of posting and a photo copy of the same be retained in the school where the child was initially registered.

4. METHOD OF ADMISSION IN CLASS I

Out of the available seats of fresh admission 15% will be reserved for SC and 7.5% will be reserved for ST. The short fall in the number of seats reserved for SC and ST, will be worked out after considering number of SC/ST children admitted under RTE quota.

- (1) **In first phase, 10 seats** (out of 40 seats) in Class I per section are to be filled as per RTE Provisions (25% of seats) and these 10 seats will be filled by draw of lots from all applications of SC/ST/EWS/BPL/OBC (**Non Creamy Layer**)/Disabled taken together.
- (2) **In second phase**, remaining seats are to be filled as per existing Priority category system. The short fall in the seats reserved for SC/ST will be made good by filling of the seats as per order of Priority categories for admission.
- (3) **For example:** In a single Section School 6 seats are reserved for SC and 3 Seats for ST (15% for SC and 7.5% for ST). Assuming that, 2 SC candidates, 1 ST candidate and 1 Differently Abled candidate are admitted under RTE in the lottery system **In first phase**, then available SC seats will be considered as $6-2 = 4$ and ST seats will be $3-1 = 2$. The left out registered candidates from SC and ST category will be considered as per order of Priority categories for admission. In this case the remaining 24 seats will be available for admission under order of Priority of Category.

NOTE-1:

- a) **In no case** these 10 seats reserved as per RTE will be de-reserved.
- b) The seats reserved for SC/ST may be interchanged, by interchanging SC seats to ST and vice-versa after 20th July.
- c) If required numbers of candidates covered under RTE do not register in 1st spell of registration then a second notification may be given in the month of April.
- d) The definition/eligibility criteria of Disadvantaged Group/Weaker Section/BPL/OBC (Non creamy layer) will be as per the notification of the concerned State Governments.
- e) Admission test will not be conducted for Class – I.

NOTE-2:

A DEFINITION OF DISADVANTAGED GROUP

1. Child belonging to disadvantaged group means a child belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government, by notification (Section 2(d) of RTE Act).
2. Child with special needs and suffering from disability means as per disability Act or as defined by the concerned State Govt.

B. DEFINITION OF WEAKER SECTION

- ▶ Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government, by notification (Section 2(e)).
- ▶ The income limit regarding economically weaker sections will be applicable as notified by the State Govt. concerned.

C. DEFINITION OF NEIGHBOURHOOD & PROOF OF RESIDENCE

Since Kendriya Vidyalayas are located at places with varied density of population, they have been categorised as follows for determining the limits of neighbourhood:-

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Major cities and Urban area
(All District Hqrs. & Metros) | 5 kms. radius |
| 2 | Places and areas other than included in 1
above. | 8 kms radius |

Note: 1. Proof of residence shall have to be produced by all applicants. However admission cannot be denied due to non-submission of Proof of residence.

2. A self-declaration in writing from the parent about distance may also be accepted to this effect.

5. COMPOSITION OF COMMITTEE FOR DRAW OF LOTS

Every Kendriya Vidyalaya will constitute a committee for the purpose of monitoring a system of **Draw of Lots** to be held in Class I or in any other class wherever such stage is reached when all candidates of a particular category or having same number of transfers cannot be accommodated against available number of seats.

The committee will comprise the following five (05) members:-

1.	Principal	Convenor
2.	Teacher	Member (To be nominated by Principal)
(3 & 4)	Two parents (One lady)	Members (One parent has to be from the candidates to be admitted under section 12(1)(c) of RTE Act 2009.
5.	VMC member	Member(To be nominated by Chairman, VMC)

- An additional 6th member can be nominated by the Principal from the students of class IX to XII wherever these classes exist.
- This committee may be notified with the concurrence of Chairman, VMC, at least 5 days in advance of draw of lots and be displayed on school Notice Board.

6. FEE AND OTHER CONCESSIONS :

- ▶ **No fee to be charged from the children admitted under the 25% quota prescribed under RTE ACT 2009**
- ▶ **One set of NCERT text books for his/her class to each child will be provided by the school and other expenses on account of note books, stationary, uniform and transport will be reimbursed on production of proper bills in respect of 25% of the children admitted under the Act subject to the ceiling prescribed.**
- ▶ **Once the children are admitted in Class I under RTE Act, they will continue to enjoy exemptions and concessions till class VIII either in the same KV or any other K.V. moving on transfer as per RTE Act.**
- ▶ **Address proof of the parent should be furnished at the time of the registration.**
- ▶ **The employees who have the facility of fee reimbursement in their departments cannot claim RTE concessions.**

7. METHOD OF ADMISSION IN CLASS II TO VIII

CLASS II TO VIII – Like Class – I admission test shall not be conducted for admission to Class II to VIII and the admission may be granted based on Priority category system (1 to 5 or 6 as the case may be). If applications are more than the number of seats, lottery system will be followed in each category including single girl child quota (Class VIth Onwards)

8. METHOD OF ADMISSION IN CLASS IX

CLASS IX - For admission to Class IX, an admission test shall be conducted and a merit list prepared for each category of priority separately. Admission shall be granted in order of merit going by the sequence of the Priority categories as prioritized in

GENERAL GUIDELINES PART-A Para 3.

- (i) Admission test shall be conducted in the subjects: Hindi, English, Math, Social Science and Science
- (ii) Candidates must secure at least 33% marks in all subjects to Pass. Merit List will be prepared as per the Priority Category.
Concession up to 5 marks can be given for deficiency in language (Hindi & English).
- (iii) Students belonging to SC/ST will be eligible for admission on securing 25% in aggregate.

METHOD OF ADMISSIONS IN CLASS XI

I. KV STUDENTS : Admissions in different Streams viz. Science, Commerce, Humanities of Class XI in KVs for KV students who have passed Class X will be regulated as follows:

- a. The merit list will be drawn/prepared as per CGPA obtained by applicant in CBSE /Class X results in every School.
- b. The Seats will be allotted as per the rank in the merit list prepared as at (a) above vis-a-vis number of vacancies available in a particular stream in the Vidyalaya (Class strength 40) and as per the option of stream exercised by the student.
- c. Concessions wherever applicable shall be incorporated while preparing the Merit List.
- d. In case of two or more candidates obtaining equal CGPA, the inter-se merit of such candidates may be determined as follows:
 - (i) Candidates obtaining higher grade points in Maths will get precedence in admission.
 - (ii) If two or more candidates have got the same grade points in Maths, then the candidates securing higher grades in Maths and Science taken together will get precedence over the others.
 - (iii) In case of a tie between two or more candidates obtaining same grade points in maths and science taken together, the student older in age as per the D.O.B will be given precedence over the other.
- e. Principal may admit children to class XI only up to the permitted class strength.
- f. A student who was earlier not found eligible for admission to a particular stream may be allowed fresh admission to a particular stream in class XI in the next academic session, if he/she improves his/her performance within one year from the same.
- g. If school is not able accommodate all the students and students from neighbouring KVs which are only up to class 10th, the class strength will be increase with the approval of the DC of the concerned Region.

Note:

INFORMATICS PRACTICES AS AN ELECTIVE SUBJECT IS OFFERED TO ALL STREAMS. ADMISSION TO THIS WOULD BE GRANTED AS PER THE COMBINED MERIT LIST.

Computer Science / Bio-Technology, wherever available as an elective subject, is to be offered to students of Science Stream and admission would be granted as per combined merit list. Multi-media & Web-Designing Technology (wherever available) as elective subject may be offered to students of all the streams (Commerce, Humanities & Science) as per combined merit list.

II. FRESH ADMISSIONS NON-KV STUDENTS

a) After accommodating all the eligible students of the KV concerned and other KVs in the entitled stream, fresh admissions to non-KV students would be allowed, if vacancy exists. Fresh admission for remaining vacancies would be made in the sequence of categories of priority on the basis of following Criteria.

i) Science Stream and Commerce Stream

A minimum of 8.0 CGPA.

ii) Humanities Stream

A minimum of 6.4 CGPA.

b) Concessions wherever applicable shall be incorporated while preparing the Merit List.

III. The following concessions will be allowed for admission for Class XI.

A. The following concession will be granted to students for admission who participated in Games & Sports meet/Scouting & Guiding/NCC/Adventure activities at various levels. The certificate needed for this purpose can be of any of the preceding years.

S.No.	Sports & Games	NCC	Scouting/ Guiding	Adventure Activities for admission to Science/ Commerce stream	Concession of marks /Grade Points
a.	Participation at SGFI or equivalent level.	'A' certificate and participation in Republic Day/PM Rally	Rashtrapati Puraskar award certificate	NIL	0.8 points in CGPA
b.	Participation at KVS National/ State level	'A' certificate and best Cadet in Distt/State level	Rajya Puruskar award certificate with 07 proficiency badges.	NIL	0.6 points in CGPA
c.	Participation at KVS Regional/ District Level	'A' certificate	Tritiya Sopan certificate with 05 proficiency badges	Participation in at least one 10-days adventure activity	0.2 points in CGPA

Maximum concession under Sports/Games/NCC / Scout / Guide/Adventure will not exceed 0.8 points in CGPA .In case of eligibility for more than one concession under different categories as mentioned at (a) and (b) above, only one concession having maximum advantage to the candidate will be allowed (The same benefit may be extended to non-Kvs Students for fresh admission in KVs.

B. Students belonging to SC/ST would be given up-gradation in CGPA by 0.4 for the purpose of admission to class XI Science/Commerce Stream/Humanities.

ANNEXURE TO – (PART – C)
SCHEDULE AND PROCEDURE FOR ADMISSION

Both these activities shall proceed together. The admission schedule for the year 2013-14 will be as under:-

CONTENTS	SCHEDULED DATES
A. FIRST ROUND OF ADMISSION	
Advertisement for admission by Regional offices/KV	First week of Feb. 2013 (Before 5 th Feb)
Issue of Forms & Registration for Class I and other classes(except class XI)*	08-02- 2013 onwards
Last date of Registration for class I and other classes	10-03-2013
Declaration of list & admission for class - I	18-03-2013 TO 25-03-2013
Extended date for Second Notification admission to be made under RTE Provisions	05-04-2013 (If sufficient applications not received under RTE Provisions)
Declaration of list of class II onwards	16-04-2013
Admission class II onwards*	17-04-2013 To 24-04-2013
Registration for class XI*	Within 20 days after declaration of Board results
Display of list & Admission for class XI	Within 30 days after declaration of Board results
Last date of Admission	31-07-2013
Admission accorded by Commissioner, KVS for the wards of Central Govt./ Central PSU employees who are actually joining on transfer after 30 th September up to 30 th November subject to availability of vacancies.	Up to 30-11-2013

B. SECOND ROUND OF ADMISSION*(IF VACANCY EXISTS)	
Notification for vacancy at Regional & KV Level for Class II onwards	25-06-2013
Registration	25-06-2013 to 30-06-2013
Display of admission list	07-07-2013
Admission	09-07-2013 to 16-07-2013

* Subject to availability of vacancy in a particular class.

PART- D

FORMS AND FORMATS



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan

REG. NO.

क्रम सं०/S.No

वर्ष/Year 2013

Photograph of
the child
(Passport
size)

पंजीकरण के लिए कक्षा/Registration for class..... (Put tick mark in appropriate box)

प्रथम पाली
Ist Shift

या
OR

द्वितीय पाली
IInd Shift

1. विद्यार्थी का पूरा नाम

Name of child in full (in Capital letters).....

Sex M/F

दिन/Day

मास/Month

वर्ष/ Year

2. जन्म तिथि (अंको में)
Date of Birth (in figures)

शब्दों में/In words.....

आयु 31-3-13 तक

वर्ष

मास

दिन

Age as on 31.3.13

Years

Months

Days

3. बच्चे का रक्त समूह

Blood Group of the child

4. छात्र की श्रेणी

The category to which child belongs

Gen.

SC

ST

OBC

EWS

BPL

Disabled

SG Child

5. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ बी सी से/आर्थिक रूप से कमजोर/बी पी एल/विकलांग/इकलोती कन्या यदि हां तो प्रमाण-पत्र संलग्न करे।

Whether the child belongs to (Gen./SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G.) Category? Please Attach relevant certificate.

6. माता-पिता का ब्योरा/ Details of Mother/ Fatherमाता/ Mother

पिता/Father

(i) नाम/ Name (in Capital letters)

(ii) राष्ट्रियता/ Nationality

(iii) व्यवसाय/ Occupation

(iv) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष /

Name of Office and full address
with Telephone numbers

(v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित)

Full residential address with
Telephone numbers (with proof)

(vi) विद्यालय से दूरी/ Distance from KV

(vii) स्थाई पता/Permanent Address

(viii) मूल वेतन/ Basic Pay

(ix) 31-3-2013- तक पिछले सात वर्ष के

सेवा काल के दौरान स्थानांतरणों की संख्या
No.of transfers during last 7 years as on
31-3-2013

(x) अभिभावक की श्रेणी रक्षा/केन्द्रीय कर्मी/

स्वायतशासी व अन्य
Category to which the Parent belong to
Defence/Central Govt./Autonomous
body & others -----

मैं एतद द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियां मेरी जानकारी मे सत्य हैं।

I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

अभिभावक के हस्ताक्षर/Signature of Parent

पूरा नाम/Full Name.....

तिथि/Date:

पावती/Acknowledgement

क्रम.सं0/S.No.

पंजीकरण संख्या/Registration No.....

श्री/श्रीमती-----
----- से उनके पुत्र/पुत्री ----
-----का कक्षा-----
-----मे प्रवेश हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त किया।

Received an application from

Shri/Smt.....for registration
of her/ his son/ daughter.....for admission to
class.....

प्राचार्य/ Principal

केन्द्रीय विद्यालय (मोहर) Kendriya Vidyalaya (Stamp)

तिथि/ Date.....

- Note:** 1. Proof of residence shall have to be produced by all applicants.
2. A self-declaration from the parent for distance may also be accepted by furnishing an undertaking to this effect.

सेवा प्रमाण पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....कार्यालय/मंत्रालय मे कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी/एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ/केन्द्रीय सरकार स्वायित संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के/की कर्मचारी हैं जिनका पूर्ण वित्त प्रबंध केन्द्रीय स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....is working in the office/Ministry ofHe/She is an employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. and his/her services are transferable anywhere in India.

सेवा प्रमाण पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(State Govt)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....कार्यालय/मंत्रालय मे कार्यरत हैं। वह राज्य मे कहीं भी स्थानांतरणीय राज्य सरकार के एक कर्मचारी है.

Certified that Shri/Smt..... Is working in the office/Ministry of He/ She is an employee of State Government transferable anywhere in the state.

स्थान एवम दिनांक

Signature with Date

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)

Sign. & Name in block letters and design of the head of office with stamp

दूरभाष/Telephone NO.

प्रमाणित किया जाता है कि-----
 -----स्वर्गीय श्री/श्रीमती-----
 के पुत्र/पुत्री हैं जोs-----में सेवारत थे और
 उनका देहावसान सेवाकाल के दौरान दिनांक-----को हो गया थाA

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----
 -----जो-----के माता पिता हैं उनके वर्तमान वर्ष
 की 31 मार्च से सात वर्षों के दौरान-----स्थानांतरण हुए हैं।
 एकक/कार्यालय और ऐसी तैनातियों की अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिसके कारण स्थान बदलना पड़ता है।

Certified that Master/Km.....is the son/daughter of
 late Sh./Smt.....who was employed in the
 Office/Ministry/Defence service. He/she had died in harness on
 the.....

It is further certified that.....(Particulars of
 son/daughter.....has/had.....(No. of posting) transfers during the
 preceding last seven years from 31st March of the current year. The Unit Office & the duration of
 such postings involving change of station are given below:-

क्र. सं. S.No.	पदनाम Designation	स्थान Place of Posting	ठहरने की अवधि Period of stay		आदेश संख्या Order No.
			से From	तक To	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

स्थान एवं दिनांक
 Station with date

कार्यालय अध्यक्ष का नाम
 और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर)
 Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with stamp

पता/Address -

दूरभाष /Telephone No.....

टिप्पणी- रक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा प्रमाण पत्र पर कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
 अपेक्षित है।

Note : The service Certificate should be signed by the officer commanding in case of employees working in defence establishment.

**CERTIFICATE FROM PRIORITY - 1* CANDIDATES FOR ADMISSION
IN CLASS I, IN KENDRIYA VIDYALAYAS**

I,(Smt./Shri)_____ (Name) _____
_____ (rank/designation)of _____
_____ (unit/ship/Deptt). do hereby certify that during the past 7 years I have been transferred _____ times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

S.No.	Formation/Unit/Depot/Office	Whether moved with family	Place	Period		Total Period of stay	Authority of move
				From	To		

I further certify that in case the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission to Kendriya Vidyalaya.

SIGNATURE OF PARENT

PLACE:

DATE:

PLEASE REFER PRIORITIES PRESCRIBED IN ADMISSION GUIDELINES.

COUNTERSIGNED

**(Countersigned by Commanding Officer / controlling Officer of the Rank of Colonel
OR Equivalent)**

I, Sh.-----rank/designation-----

-----name-----

unit/ship/department-----hereby certify that the
particulars given in para 1 have been authenticated by the records held in the office and
found to be correct.

Place:

Date:

(SIGNATURE OF THE CO/OC UNIT/CONTROLLING OFFICER)

(ADDRESS)

1. Minimum period of posting/stay at a place should be six months.
2. Form to be signed by an officer not below the level of Colonel or equivalent in Navy/Air Force/Para-Military Forces.
3. In case the CO is below the rank of Colonel, the form be signed by the Station Commander/Colonel/Colonel in a station.

**Format for Recommendations to be made by Hon'ble
Members of Parliament.**

KVS NO. -----

(NAME & ADDRESS OF THE MP)

F.-----

Dated _____

Dear -----

I am to refer to your letter No. F. 110331/02/2012-KVS (Hq)/SP.Disp/MP.
Dated-11.5.2010 regarding recommendations for admissions of the children in Kendriya
Vidyalayas under Special Dispensation and recommend the following six names whose
particulars are given below:

S.No.	Name of the Child	Father's/Mother's Name	Class	Name of KV	Residential Address
1.					
2.					
3					
4					
5					
6					

The above two recommendations are for the session 2013-14 and the parents are
the resident of my constituency.

Yours sincerely,

The Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18, Institutional Area
Shaheed Jeet Singh Marg
Delhi-110602